

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/ 2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री रमाकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री रमाकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	जनहित

श्री रमाकान्त त्रिपाठी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवेदित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री त्रिपाठी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

३१-

(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/ 1602 /स्थान०-१/लि०सं०/वार्षिक स्थान०/2018-19 दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रमाकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 07 दिन के भीतर कार्यमुक्त की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि सम्बन्धित कार्मिक की योगदान सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायें।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

७०

उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री कैलाश चन्द्र चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री कैलाश चन्द्र चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून	जनहित

श्री कैलाश चन्द्र चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चौधरी का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

३०/-
(डॉ अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/ 1603 /स्था०अनु०-१/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री कैलाश चन्द्र चौधरी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री कैलाश चन्द्र चौधरी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को इस आशय से कि श्री कैलाश चन्द्र चौधरी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

१०
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।